न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) — जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 49/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेन्द्र बूसर, प्रवर्तन अधिकारी
   बनाम
   श्री दुर्गाशरण सक्सेना पुत्र श्री बलवीर सहाय सक्सेना निवासी बी एल–35 डबल स्टोरी पुराना विद्याधर नगर हाल 8/193 विद्याधर नगर जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 02.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री राजेन्द्र बूसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.04.2018 को थानाधिकारी विद्याधर नगर द्वारा निरुद्ध किये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों व अन्य सामानों की जांच हेतु पुराना विद्याधर नगर बस स्टैण्ड पंहुचे। थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के अनुसार उनके द्वारा 19.04.2018 को पुराना विद्याधर नगर में गैस सिलेण्डर फटने से आग लगने की सूचना पर अप्रार्थी संख्या 1 के मकान पर पहुंचे। दौराने जांच पाया गया कि मकान मे अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। मौके पर जलते हुये सिलेण्डर पाये गये जिन्हें बाहर निकालकर आग पर काबू पाया गया। मकान का मुआयना करने पर सिलेण्डरों के अलावा गैस रिफिलिंग के उपकरण भी मिले। उक्त व्यक्ति द्वारा अवैध रुप से भारी मात्रा में गैस सिलेण्डर अपने कब्जे में रखकर रिफिलिंग सम्बन्धित अवैध कार्य करने के दौरान आग की घटना कारित हुई है। थानाधिकारी विद्याधर नगर जयपुर द्वारा प्रस्तुत पत्रानुसार उक्त घटना प्रथम दृष्टया अवैध रुप से भण्डारण व रिफिलिंग किया जाना पाये जाने के कारण द्रवित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया गया है। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा मय जांच दल के कुल 13 सिलेण्डर जिनमें 10 वाणिज्यिक(2बीपीसीएल +1एचपीसीएल तीनों आग लगने से फटे हुए), 3 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल, 2 नग बांसुरी, 1 तराजू, 2 पाने, सिलेण्डर रिंग, 1 हुक, 1 सिलेण्डर वॉल्व, भारत पैट्रोलियम के पम्पलेट जली हुई स्थिति में को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 12.01.2023 को पेश जवाब में अंकित किया गया कि उक्त सामान जब्ती स्थल अप्रार्थी की भाभी का है एवं श्री दिनेश को किराये से दिया हुआ है जो कि गैस एजेन्सी का कार्य करता है। उक्त जब्त सभी सामान किरायेदार दिनेश के हैं। पुलिस थाना विद्याधर नगर में दर्ज एफ.आई.आर. में दिनेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है। अप्रार्थी का उक्त जब्त सामान से कोई सरोकार नहीं है। यदि प्रकरण में जप्तशुदा सामान को जप्त सरकार करती है तो अप्रार्थी को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 02.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं जवाब का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 19.04.2018 को जब्त घरेलू सिलेण्डरों की अवैध रुप से रिफिलिंग की जा रही थी। अप्रार्थी द्वारा जवाब में बताया गया कि उक्त जब्ती स्थल अप्रार्थी का नहीं है वरन् उसकी भाभी का है, जो कि किराये पर श्री दिनेश को दिया हुआ है एवं उक्त जब्त सामान भी किरायेदार दिनेश का ही है। अप्रार्थी का उससे कोई सरोकार नहीं है। यदि प्रकरण में जप्तशुदा सामान को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर जलते हुये सिलेण्डर मिलने व गैस रिफिलिंग के सामान मिलने से घरेलू गैस सिलेण्डरों की रिफलिंग करते हुये आग लगना प्रतीत होता है। उक्त कृत्य द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं की स्वयं से कोई संबंध नहीं होने की स्वीकारोक्ति एवं उक्त जब्ती स्थल पर गैस सिलेण्डरों की रिफिलिंग किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान कुल 13 सिलेण्डर जिनमें 10 वाणिज्यिक(2बीपीसीएल +1एचपीसीएल तीनों आग लगने से फटे हुए), 3 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल, 2 नग बांसुरी, 1 तराजू, 2 पाने, सिलेण्डर रिंग, 1 हुक, 1 सिलेण्डर वॉल्व, भारत पैट्रोलियम के पम्पलेट जली हुई स्थिति में को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court in the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।